Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA

Arms Appeal Case No.- 27/2025

Gopal Yadav...Appellant/Petitioner.

Versus

The State of Bihar …..Resondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	08.8.2025	**आदेश** यह आर्म्स अपील वाद जिला दण्डाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, कटिहार के आदेश के आलोक में जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, कटिहार के ज्ञापांक 88/शस्त्र, दिनांक-21.3.2024 के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। LCR प्राप्त है। दिनांक-24.7.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। अपीलार्थी की ओर से Written Note of Argument दाखिल है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि अपीलार्थी के शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या-319/10 को जिला दण्डाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेशानुसार जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, कटिहार द्वारा निर्गत आदेश ज्ञापांक 88/शस्त्र, दिनांक-21.3.2024 के द्वारा निरस्त (Cancel) किया गया। उक्त आदेश लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के निमित्त पुलिस अधीक्षक, कटिहार से अनुज्ञप्ति रद्द करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर दिनांक-18.3.2024 को आहूत जिला स्क्रीनिंग समिति की बैठक के अनुशंसा के आधार पर निर्गत किया गया है। अपीलाधीन आदेश के अनुसार वादी गोपाल यादव, पिता-स्व0 रामदेव यादव, साकिन-रामपुर ग्वाल टोली, थाना-कुर्सेला, जिला-कटिहार के विरूद्ध कुर्सेला थाना कांड संख्या-58/15, दिनांक-25.5.15 धारा-341/342/376/315/120बी भा0दं0वि0 एवं परिवर्तित धारा-3/4 पोक्सो एक्ट का गंभीर मुकदमा प्रक्रियाधीन रहने के आधार पर जिला दण्डाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेशानुसार उनके अनुज्ञप्ति सं0-319/10 को Arms Act,1959 की धारा 17(3) के तहत निरस्त (Cancel) किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलाधीन आदेश में Arms Act,1959 के Section-17(5) के तहत Reasons for Revocation of Arms Licence यथोचित रूप से अंकित है। Petitioner की ओर से अपीलाधीन आदेश में अंकित Findings को Disprove करने हेतु कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है। वादी के विरूद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज रहने के आलोक में नियमानुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया है। अपीलाधीन आदेश (ज्ञापांक-88/शस्त्र, दिनांक-21.3.2024) संगत कानूनी प्रावधानों के अनुसार पारित किया गया है। जो विधिसम्मत है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। 08/8/2025. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। लेखापित एवं शुद्धित। 08/8/2025. आयुक्त, पूर्ण्यिा प्रमंडल, पूर्णिया।	